प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 14.08.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कॉन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाई गई।

कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में अपराध नियंत्रण एवं न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार "ऑपरेशन कॉन्विक्शन" अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिसके अन्तर्गत गंभीर एवं संज्ञेय अपराधों में त्वरित कार्यवाही, प्रभावी पैरवी एवं शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य संज्ञेय अपराधों में त्वरित एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना, अभियुक्तों के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य संकलन करना, न्यायालय में अभियोगों की प्रभावशाली पैरवी करना तथा अपराधियों को शीघ्र सजा कराते हुए पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना है।

उक्त के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती श्वेता कुमारी यादव को अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनके द्वारा अभियान की प्रगति की निगरानी की जा रही है। दिनांक 08.06.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती श्वेता कुमारी यादव द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन्स स्थित परमजीत हॉल में ऑपरेशन कॉन्विक्शन के दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त कोर्ट पैरोकारों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई थी एवं सभी कोर्ट पैरोकारों को उपरोक्त अभियान के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अभियान के प्रारंभिक चरण में ही कई मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल की गई। लंबित मामलों की समीक्षा एवं प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर साक्ष्य प्रस्तुतिकरण को सुदृढ़ किया गया। डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता में सुधार लाया गया है जिससे अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उपरोक्त अभियान के अन्तर्गत पिछले 02 माह में कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	थाना	कोर्ट पैरोकार	मा0 न्यायालय का नाम	अ0 सं0	धारा	सजा की अवधि व जुर्माना
1	सिहानीगेट	अंकित कुमार	स्पे0 न्या0 पोक्सो एक्ट	975/18	376/506 आइपीसी व 5/6 पोक्सो एक्ट	10 वर्ष कारावास

2	कविनगर	सोनू कुमार	स्पे0 न्या0 पोक्सो-3	1619/22		10 वर्ष कारावास
3	मुरादनगर	सुशील कुमार	एफटीसी-1	173/25	364/120 बी	10 वर्ष कारावास एवं 10000/- रु0 जुर्माना
4	लोनी	सौरव कुमार	स्पे0 न्या0 पोक्सो-3	280/23	376 डी व 5/6 पोक्सो एक्ट	आजीवन कारावास
5	भोजपुर	नैम सिंह	एडीजे-4	494/18	395/411 आईपीसी	7 वर्ष कारावास व 500 रु0 जुर्माना
6	खोड़ा	श्यामवीर सिंह	स्पे0 न्या0 पोक्सो-3	120/19	376(एबी)/ व 5/6 पोक्सो	20 वर्ष कारावास व 25000/- रु0 जुर्माना
7	खोड़ा	श्यामवीर सिंह	एडीजे-7	438/16	302/201 आईपीसी	आजीवन कारावास
8	इन्दिरापुरम	पौरुष	स्पे0 न्या0 पोक्सो-2	1718/14	376(2),342,506 आईपीसी व ¾ पोक्सो व 3/2/5 एससी/एसटी एक्ट	10 वर्ष कारावास
9	साहिबाबाद	राधेश्याम	स्पे0 न्या0 पोक्सो	2379/19		10 वर्ष कारावास
10	शालीमार गार्डन	हेमलता	पोक्सो एक्ट-1	149/23	376/511 आईपीसी व 5/6/18 पोक्सो एक्ट	10 वर्ष कारावास

दिनांक 13.08.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमति श्वेता कुमारी यादव द्वारा अभियान के दौरान पूर्ण मनोयोग एवं सत्यनिष्ठा से कार्य कर अपराधियों को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी कोर्ट पैरोकार को पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन किया गया। सभी कोर्ट पैरोकारों को उनके अभिलेखों के रख-रखाव हेतु बैग तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। साथ ही भविष्य में भी प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलवाने में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त अभियान के अन्तर्गत पिछले 02 माह में कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	थाना	कोर्ट पैरोकार	मा0 न्यायालय का नाम	अ0 सं0	धारा	सजा की अवधि व जुर्माना
1	सिहानीगेट	अंकित कुमार	स्पे0 न्या0 पोक्सो एक्ट	975/18	376/506 आइपीसी व 5/6 पोक्सो एक्ट	10 वर्ष कारावास
2	कविनगर	सोनू कुमार	स्पे0 न्या0 पोक्सो-3	1619/22		10 वर्ष कारावास
3	मुरादनगर	सुशील कुमार	एफटीसी-1	173/25	364/120 बी	10 वर्ष कारावास एवं 10000/- रु0 जुर्माना
4	लोनी	सौरव कुमार	स्पे0 न्या0 पोक्सो-3	280/23	376 डी व 5/6 पोक्सो एक्ट	आजीवन कारावास
5	भोजपुर	नैम सिंह	एडीजे-4	494/18	395/411 आईपीसी	7 वर्ष कारावास व 500 रु0 जुर्माना
6	खोड़ा	श्यामवीर सिंह	स्पे0 न्या0 पोक्सो-3	120/19	376(एबी)/ व 5/6 पोक्सो	20 वर्ष कारावास व 25000/- रु0 जुर्माना
7	खोड़ा	श्यामवीर सिंह	एडीजे-7	438/16	302/201 आईपीसी	आजीवन कारावास
8	इन्दिरापुरम	पौरुष	स्पे0 न्या0 पोक्सो-2	1718/14	376(2),342,506 आईपीसी व ¾ पोक्सो व 3/2/5 एससी/एसटी एक्ट	10 वर्ष कारावास
9	साहिबाबाद	राधेश्याम	स्पे0 न्या0 पोक्सो	2379/19		10 वर्ष कारावास
10	शालीमार गार्डन	हेमलता	पोक्सो एक्ट-1	149/23	376/511 आईपीसी व 5/6/18 पोक्सो एक्ट	10 वर्ष कारावास

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 14.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 25,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त हरीश उर्फ विशाल कश्यप पुत्र कल्लू कश्यप निवासी कृष्णा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ एक संगठित गिरोह बना रखा है। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट, डकैती जैसे अपराध कारित किये हैं, जिसमें मैं और मेरे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

हरीश उर्फ विशाल कश्यप पुत्र कल्लू कश्यप निवासी कृष्णा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर डकैती, पुलिस मुठभेड व गैंगस्टर एक्ट के कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.08.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग बहन उम्र करीब 11 वर्ष को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.08.2025 को पीडिता को बरामद किया गया एवं पीडिता का मेडीकल व धारा 180/183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान दर्ज कराये गये जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई तथा अभियुक्त अमन पुत्र नवल किशोर का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 14.08.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अमन पुत्र नवल किशोर निवासी किरायेदार D-ब्लाक कमरूद्दीन नगर नांगलोई दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीडिता से 02 महीने पहले इन्स्टाग्राम के माध्यम से बात-चीत हुई थी, उसके बाद मैंने पीडिता का मोबाइल नम्बर लेकर उससे बात करना शुरु कर दिया। उसके पश्चात मैं पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अमन पुत्र नवल किशोर निवासी किरायेदार D-ब्लाक कमरूद्दीन नगर नांगलोई दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 14.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1.रवि वर्मा पुत्र सन्तराम निवासी पुट्टा सुन्दरम् थाना टीपी नगर जिला मेरठ उम्र करीब 34 वर्ष 2. दीपक पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी सुभाष चौक थाना किला परीक्षितगढ जिला मेरठ उम्र करीब 44 वर्ष थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमनें अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट, चोरी जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम और हमारे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.रवि वर्मा पुत्र सन्तराम निवासी पुट्टा सुन्दरम् थाना टीपी नगर जिला मेरठ उम्र करीब 34 वर्ष।
2. दीपक पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी सुभाष चौक थाना किला परीक्षितगढ जिला मेरठ उम्र करीब 44 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त रवि वर्मा के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर गैंगस्टर एक्ट,लूट तथा पुलिस मुठभेड के 06 अभियोग पंजीकृत हैं व अन्य जनपदों (मेरठ व हापुड) के विभिन्न थानो में चोरी,लूट व आर्म्स एक्ट के 16 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग-22)

अभियुक्त दीपक के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग व लूट / चोरी 02 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग -03)

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद, कमिश्नरेट गाजियाबाद के अतिरिक्त 03 राज्य के 04 घटनाओं का खुलासा ।

श्रीमती कविता तोमर निवासी शाहपुर बम्हेटा गाजियाबाद के साथ घर बैठे ऑनलाइन टास्क कर पैसे कमाने का प्रलोभन देकर टेलीग्राम टास्क के नाम पर साइबर फ्रॉड की 14,54,955/- रुपये की घटना की सूचना पर थाना साइबर क्राइम में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त पंकज पुत्र स्व0 सुरेश सिंह निवासी- सी 2/2 लाजपत नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त पंकज ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये लोगों को ऑनलाइन टेलीग्राम टास्क कम्पलीट कर मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर लोगों को टास्क के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं। अभियुक्त पंकज ने बताया कि मैंने अंकुर शर्मा निवासी सिरोली गाजियाबाद को 10 प्रतिशत कमीशन पर अपना बैंक खाता दिया था। अंकुर शर्मा ने मेरे खाते में करीब 3.5 लाख रुपये साइबर फ्रॉड के डलवाये थे, जिसे मैंने एटीएम से निकालकर अपना कमीशन काटकर बाकी पैसे अंकुर शर्मा को दे दिये थे। अभियुक्त अंकुर शर्मा की तलाश की जा रही है।

अभियुक्त पंकज से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के अतिरिक्त सुश्री वर्षा पी निवासी पुलियनथोप, तमिलनाडू के साथ 171160/- रुपये का सुश्री प्रेमा वेट्रीवेल निवासी बेल्लोर तमिलनाडू के साथ 305000/- रुपये तथा मौहम्मद मुमताज निवासी रामगढ़, झारखण्ड के साथ 187000/- रुपये तथा सुश्री संथोष निवासी त्रिचिरापल्ली तमिलनाडू के साथ 415394/- रुपये एवं सुश्री अदिप्ता मोहपात्रा, बालासोर उड़ीसा के साथ 91000/- रुपये के ऑनलाइन टास्क साइबर फ्रॉड की घटना का खुलासा हुआ है। सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पंकज पुत्र स्व0 सुरेश सिंह निवासी- सी 2/2 लाजपत नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष, शिक्षा-स्नातक।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।